न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी-श्री रवि विजय (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र सं0- 10/2015

<u>उनवानी</u>

1. महेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र भंवर सिंह
2. भंवर कंवर पत्नी भंवर सिंह
3. हनुमान सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
4. गिरधारी सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
5. मु. सीमान कंवर बेवा फूलसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीयान् सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

- प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

1. श्रीमति कविता चौधरी आयु 34 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जाति जाट निवासी प्लाट 5, स्कीम नम्बर 8, गांधीनगर अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा

- अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क(1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम 2010 आर0टी0एक्ट0</u>

निर्णय दिनांक -18.10.2017

पत्रावली आज पेश हुई । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 160, 201, 153, 159, 66/1318, 147 वाकै ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा में स्थित प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण काबिज है तथा उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण उक्त आराजी में आने जाने हेतु आराजी खसरा नम्बर 116 रकबा 0.39 हैक0 भूमि के पश्चिमी सींव के सहारे - सहारे 3 मीटर चौडा व 80 मीटर लम्बा रास्ता चाहने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) राजस्थान अभिधृति संशोधन अधिनियम 2010 आर0टी0एक्ट0 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलबी की गई। प्रार्थीगणो ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 160, 201, 153, 159, 66/1318 में जाने आने हेतु खसरा नम्बर 116 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगाणे के उक्त प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगणो को जवाब प्रार्थना पत्र तथा तहसील शाहपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

अप्रार्थीया ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थीगणो के पास खसरा नम्बर 198 रास्ता है तथा जिसके लगता खसरा नम्बर 161 सिवायचक है एवं खसरा नम्बर 161 के लगता खसरा नम्बर 160 स्थित है। इस प्रकार प्रार्थीगणो के पास रास्ता मौजूद है तथा इसका उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। अप्रार्थीया ने अपने

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जि.ा-जयपुर (राज.)

जवाब प्रार्थना पत्र में यह भी अवगत करवाया कि प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीया की भूमि को विभाजन कर खराब करने की नीयत से पेश किया गया है।

तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक 88 दिनांक 20.01.2016 के द्वारा पेश की गई। जिसमें अवगत करवाया गया कि खसरा नम्बर 161 सिवायचक में से रास्ता दिया जा सकता है लेकिन प्रार्थीगणो के घर से 2 किलोमीटर दूर रहेगा तथा प्रार्थीगणो ने खसरा नम्बर 116 में ही रास्ता हेतु प्रस्तावित किया है।जबकि खसरा नम्बर 125 जोकि गैर मुमकिन रास्ता है जो खसरा नम्बर 118 की सीमा पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार खसरा नम्बर 118 में रास्ता प्रस्तावित नही करके खसरा नम्बर 116 में ही रास्ता प्रस्तावित किया है।

अप्रार्थीया कविता देवी ने दिनांक 25.02.2016 को एक प्रार्थना पत्र बाबत सहमति विकल्प प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें खसरा नम्बर 160 में जाने हेतु खसरा नम्बर 161 से तथा दूसरा विकल्प बताया कि खसरा नम्बर 160 कि भूमि खसरा नम्बर 116 के पूर्व दिशा से सटी हुई है। जिसे प्रार्थीगण अप्रार्थीया को विक्रय कर दे तो इसके एवज में अप्रार्थीया खसरा नम्बर 148, 149, 150, 151, 152 में से उतनी ही भूमि विक्रय कर देगा। जिससे प्रार्थीगण की भूमि गांव के नजदीक गै0मु0रास्ता खसरा नम्बर 125 से मिल जायेगी। जिससे खसरा नम्बर 147, 153, 159, 160 पर जाने का सीधा रास्ता मिल जायेगा। अप्रार्थीया ने तृतीय वैकल्पिक रास्ता बाबत खसरा नम्बर 125 गै0मु0रास्ते से खसरा नम्बर 147 की ओर जाने के लिए अप्रार्थीया के खसरा नम्बर 150 एवं 149 के दक्षिण दिशा में 3 मीटर चौडा एवं लगभग 80 मीटर लम्बा रास्ता देने को तैयार है। बशर्ते प्रार्थीगण इसका नियमानुसार भुगतान किया जावें।

हमने प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगणो की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 160, 153, 159 में जाने हेतु खसरा नम्बर 161 से खोरालाडखानी – मनोहरपुर रोड से होते हुए है लेकिन यह रास्ता प्रार्थीगणो के आवास से मुताबिक तहसीलदार की रिपोर्ट से काफी दूर पडता है तथा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 116 जिसमे प्रार्थीगण रास्ता चाहते है उससे अप्रार्थीया असहमत है तथा अप्रार्थीया की भूमि भी विभाजित होती है साथ ही खसरा नम्बर 125 गै0मु0रास्ता व खसरा नम्बर 116 के बीच मे खसरा नम्बर 118 ओर आता है जिसका प्रार्थीगणो ने कोई प्रार्थना पत्र में उल्लेख नही किया है। इस प्रकार तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट से जाहिर है कि बीच में खसरा नम्बर 118 में रास्ता प्रस्तावित नही करके उससे आगे खसरा नम्बर 116 में प्रस्तावित किया है।

दोनो पक्षो की आज दिनांक 05.10.2017 को बहस सुनी गई । प्रार्थी वकील ने जरिये बहस अवगत करवाया कि खसरा नम्बर 116 में उत्तर से दक्षिण में पूर्वी सीमा के सहारे – सहारे खसरा नम्बर 160 की उत्तरी पश्चिमी कोने तक रास्ता निकल जाने से प्रार्थीगण अपनी भूमि मे सुगमता से आ – जा सकते है। वकील अप्रार्थीया ने जरिये बहस में जाहिर किया कि खसरा नम्बर 116 में से रास्ता दिये जाने से खेत के टुकडे होगे तथा खसरा नम्बर 149, 150 में से रास्ता दिये जाने से खेत के टुकडे नही होगे।

हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी ममन किया गया। प्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तावित रास्ते से अप्रार्थीया संख्या 1 की भूमि के टुकडे भी होगे साथ ही खसरा नम्बर 125 गै0मु0रास्ते व खसरा नम्बर 116 के बीच में खसरा नम्बर 118 भी आता है जिसमें प्रार्थीगणो ने कोई रास्ता प्रस्तावित नहीं किया है। अप्रार्थीया के अपने खेत खसरा नम्बर 150, 149 की उत्तरी सीमा के सहारे – सहारे प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 147 में जा सकते है जिससे अप्रार्थीया के खेतो का विभाजन भी नही होगा साथ ही अप्रार्थीया संख्या 1 इससे सहमत होने से अनावश्यक मुकदमे बाजी नही होगी।

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

अतः प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) राजस्थान अभिधृति संशोधन अधिनियम 1955 के तहत ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 150 रकबा 0.35 हैक्0 149 रकबा 0.49 हैक्0 जो कि खातेदार अप्रार्थी संख्या 1कविता चौधरी पुत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जाति जाट निवासी प्लाट 5, स्कीम नम्बर 8, गांधीनगर अलवर के नाम खातेदारी में दर्ज है में उत्तरी सीमा के सहारे - सहारे 3 मीटर चौडाई में रास्ता देने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा को खसरा नम्बर 150 व 149 की उत्तरी सींव के पश्चिम से पूर्व में 3 मीटर चौडाई से खसरा नम्बबर 150 व 149 की लम्बाई का आंकलन कर जो रकबा आता है उसे राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। रास्ते की भूमि जो कि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा आंकलन की जावेगी का निर्धारण कर डीएलसी दर 869600 /- प्रतिबीघा के हिसाब से या इस डीएलसी दर में कोई वृद्धि हुई है तो उसके मुताबिक भूमि की कीमत की कीमत का आकलंर कर दो गुना भूमि की कीमत नियमानुसार प्रार्थीगणो से जमा कर अप्रार्थीया कविता चौधरी पुत्र लक्ष्मीनारायण चौधरी को भुगतान की कार्यवाही करे। तहसीलदार शाहपुरा को नियमानुसार रास्ते की भूमि की कीमत उक्तानुसार जमा करने, राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करने एवं नियमानुसार भूमि की कीमत निर्धारण करते हुए खातेदार को भुगतान करने की कार्यवाही हेतु लिखा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 18.10.2017 को सुनाया गया।

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)